

**05-03-2024**

**विश्व वन्यजीव दिवस 2024**

**सुर्खियों में क्यों?**

- 3 मार्च 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (WWF) द्वारा ओखला बर्ड सैक्चुररी में वर्ल्ड वाइल्डलाइफ डे, 2024 का आयोजन किया गया।
- प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में लुप्त हो रही वन्य जीव व वनस्पति की प्रजातियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है।
- वर्ष 2024 का थीम 'लोगों और ग्रह को जोड़ना: वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज' है।



- यह थीम वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में डिजिटल नवाचार द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। यह वन्यजीवों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने, उनकी आबादी की निगरानी करने और लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा के लिए नवीन समाधान विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के महत्व पर प्रकाश डालता है।
- इस दिवस का आयोजन वर्ष 2013 से किया जा रहा है। 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में घोषित किया। यह दिन उस दिन के रूप में महत्वपूर्ण है जब 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय

व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

**CITES के बारे में**

- वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora-CITES) एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका पालन राष्ट्र तथा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन स्वैच्छिक रूप से करते हैं।
- वर्ष 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) पर हस्ताक्षर किए गए जबकि जुलाई 1975 में लागू हुआ था।
- वर्तमान में CITES के 183 पक्षकार देश हैं (इसमें देश अथवा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन दोनों शामिल हैं)।
- CITES का सचिवालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रशासित किया जाता है जो यह जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनका अस्तित्व पर संकट न हो।
- CITES चयनित प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित कर अपने कार्यों का निष्पादन करता है। कन्वेंशन में शामिल विभिन्न प्रजातियों के आयात, निर्यात, पुनः निर्यात एवं प्रवेश संबंधी प्रक्रियाओं को लाइसेंसिंग प्रणाली के माध्यम से अधिकृत किया जाना आवश्यक है।
- कन्वेंशन के परिशिष्ट I, II एवं III में विभिन्न प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है जो प्रजातियों को अत्यधिक दोहन से बचाने हेतु विभिन्न स्तर एवं विभिन्न प्रकार के संरक्षण का प्रावधान करता है।
- वन्यजीव संरक्षण के लिये भारत का कानून 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से वन और वन्य पशुओं तथा पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया।
- संविधान के अनुच्छेद 51 A (G) में कहा गया है कि वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की

रक्षा तथा सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा।

- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 48 ए में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
- भारत में प्रजातियों के संरक्षण के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं जैव विविधता अधिनियम, 2002 को लागू किया गया है।

### 'सीहॉक' हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना में शामिल

#### सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए MH 60R सीहॉक बहुउद्देश्यीय हेलीकॉप्टर को 06 मार्च 2024 को आईएनएस गरुड़, कोच्चि में कमीशन करेगी।



#### संबंधित प्रमुख बिंदु

- सीहॉक्स (ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का एक समुद्री संस्करण) को आईएनएस 334 स्काइन के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। ये हेलीकॉप्टर फरवरी 2020 में अमरीका के साथ हस्ताक्षरित 24-विमान एफएमएस अनुबंध का एक हिस्सा हैं।
- हेलीकॉप्टर को पनडुब्बी रोधी युद्ध (एएसडब्ल्यू), सतह पर होने वाले संघर्ष (एएसयूडब्ल्यू), खोज एवं बचाव (एसएआर), चिकित्सा व निकासी (मेडीवैक) और वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट (वर्टिप) के लिए तैयार किया गया है।
- उन्नत हथियार, सेंसर और एवियोनिक्स सूट सीहॉक हेलीकॉप्टर को भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं, जो पारंपरिक एवं असंयमित दोनों तरह खतरों से निपटने के लिए उन्नत क्षमताएं प्रदान करते हैं।

- एमएच 60आर हेलीकॉप्टर भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ावा देंगे, नौसेना की परिचालन पहुंच का विस्तार करेंगे और रक्षा स्पेक्ट्रम तथा विशाल समुद्री डोमेन में निरंतर नौसैन्य संचालन का सहयोग करेंगे।
- हिंद प्रशांत क्षेत्र में सीहॉक की तैनाती भारतीय नौसेना की समुद्री उपस्थिति को सशक्त करेगी, संभावित खतरों को दूर करेगी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करेगी।
- सीहॉक हेलीकॉप्टर की नियुक्ति समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना के दृढ़ समर्पण को उजागर करती है, जो इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास सुनिश्चित करने के भारत सरकार के दूरदर्शी लक्ष्य के साथ सहजता से जुड़ती है।

### डेफ-कनेक्ट (DefConnect) 2024

#### सुर्खियों में क्यों?

- स्वदेशी नवाचार को प्रोत्साहन देने और बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए साझेदारी को सुगम बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वावधान में रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार-रक्षा नवाचार संगठन (आईडीईएक्स - डीआईओ) डेफकनेक्ट का आयोजन 04 मार्च, 2024 को मानेकशां सेंटर, नई दिल्ली में कर रहा है।

#### संबंधित प्रमुख बिंदु

- डेफकनेक्ट 2024 देश के रक्षा नवाचार परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है, जो सशस्त्र बलों, रक्षा उद्योग के नेताओं, स्टार्ट-अप, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं सहित प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर प्रस्तुत करता है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य अर्थपूर्ण जुड़ाव को बढ़ावा देना, अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन करना है और यह रक्षा क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए एक परिवर्तित मंच के रूप में कार्य करने को तैयार है। यह आयोजन रक्षा क्षेत्र में भारत के अग्रणी उद्योगों से बड़ी संख्या में नवप्रवर्तकों और निवेशकों को आकर्षित करेगा।
- यह कार्यक्रम आगामी 08 मार्च, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पूर्व 'महिलाएं परिवर्तन की चालक के रूप में' विषय पर एक अखिल महिला पैनल चर्चा के आयोजन का साक्षी भी रहेगा।
- रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (IDEX) ढांचा सैन्य कर्मियों को सह-विकास मॉडल में नवप्रवर्तकों के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। वे अंतिम उपभोगकर्ता, नोडल और डोमेन विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। यह सहयोग



अंतिम उपयोगकर्ता की विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि से लाभान्वित नवाचार को दिशा-निर्देश देने और वर्तमान मंच की प्रगति को सुचारू रूप से एकीकृत करने में सहयोग करता है।

- गौरतलब है कि वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉन्च किये गये रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (IDEX), अनिवार्य रूप से रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में विभिन्न हितधारकों के लिए एक एकीकृत मंच प्रस्तुत करता है। यह इस विशिष्ट क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास और संभावित सहयोग के निरीक्षण हेतु एक छत्र संगठन की तरह कार्य करता है।

### ओशन ग्रेस

#### सुर्खियों में क्यों?

- केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 2 मार्च, 2024 को वर्चुअल तरीके से 'ओशन ग्रेस' नामक 60टी बोलाड पुल टग और मेडिकल मोबाइल यूनिट (एमएमयू) का उद्घाटन किया।

#### ओशन ग्रेस क्या है?

- ओशन ग्रेस भारत में निर्मित पहला एएसटीडीएस (बड़े जहाजों को खिंचने वाली छोटी नाव) टग है जिसे केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग (MoPSW) के तहत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने विकसित किया है।



- यह मेडिकल मोबाइल यूनिट (एमएमयू) कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति पत्तन की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। यह पहल पीएम मोदी की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को दर्शाती है।
- यह पहला एएसटीडीएस टग निगाटा मुख्य इंजन और

पावर जेड-पेलर जेडपी प्रोपल्शन इंजन से संचालित होता है। इस टग को अधिकतम दक्षता और विश्वसनीयता के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है जो निर्बाध नेविगेशन और कुशल पोत सहायता की गारंटी देता है, खासकर वीएलसीसी और यूएलसीसी जैसे बड़े जहाजों के लिए।

- गौरतलब है कि ग्रीन टग ट्रांज़िशन प्रोग्राम (जीटीटीपी) का लक्ष्य 2030 तक सभी टगों में से कम से कम 50% को ग्रीन टग में बदलना और सभी प्रमुख पत्तनों पर ग्रीन टग की तैनाती करना है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के उपायों को लागू करके, घरेलू/लघु समुद्री शिपिंग घाटों, बंदरगाह जहाजों (टग/जहाज/खींच कर निकालने वाला यंत्र), और ओएसवी/पीएसवी का लक्ष्य पहले 2030 तक 50% की उल्लेखनीय कमी करना और फिर इसे 2047 तक 70% तक कम करना है।

### ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के 22वें स्थापना दिवस

#### सुर्खियों में क्यों?

- भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने राष्ट्र की सेवा के 22 वर्ष पूरे होने पर 1 मार्च, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सरकार और उद्योग के हितधारकों को आमंत्रित किया।



- 22वें स्थापना दिवस का विषय "भारत में विद्युतीकरण और कार्बन उत्सर्जन में कमी के माध्यम से ऊर्जा उपयोग में परिवर्तन" था।

#### संबंधित प्रमुख बिंदु

- इस समारोह में ऊर्जा उपयोग में परिवर्तन की दिशा में

ई-परिवहन की भूमिका और कार्बन उत्सर्जन कम करने में भारतीय कार्बन बाजार की क्षमता पर विचार-विमर्श किया गया।

- इस अवसर पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक ने देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए "मॉडल इलेक्ट्रिक वाहन नीति" का सुझाव दिया।
- इस अवसर पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के दो मानक और लेबलिंग कार्यक्रम शुरू किए गए, एक पैकेज्ड बॉयलर के लिए और दूसरा वाणिज्यिक पेय कूलर के लिए, जिसे विसी कूलर (या पेय कूलर) भी कहा जाता है। पैकेज्ड बॉयलर एक कारखाना-निर्मित रेडी-टू-यूज़ बॉयलर है, जिसका उपयोग सभी प्रसंस्करण उद्योगों के लिए भाप और गर्म पानी की आवश्यकता के लिए किया जाता है। यह प्रोग्राम स्वैच्छिक चरण के तहत शुरू किया जा रहा है, जो 31 दिसंबर, 2026 तक वैध है।
- इसके अलावा इंडिया ईवी डाइजैस्ट का आरंभिक संस्करण जारी किया गया। इसका विमोचन स्थापना दिवस पर देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास के साथ-साथ देश को अपने वर्ष 2030 तक समग्र वाहन बिक्री में ईवी की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी के लक्ष्य के अनुरूप बने रहने के लिए ईवी अपनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बीईई द्वारा किया गया।

- साथ ही इस अवसर पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक का पांचवां संस्करण भी जारी किया। इसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी (एईईई) के सहयोग से शुरू किया है, ताकि राज्यों में ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन की वार्षिक प्रगति आकलन किया जा सके।

#### ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के बारे में

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की स्थापना 1 मार्च, 2002 को विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत की गई थी।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का मिशन भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊर्जा आधिक्य को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ विकासशील नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने में सहायता करना है।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में उल्लिखित विनियामक और संवर्द्धन कार्यों के लिये ज़िम्मेदार है। यह अपने कार्यों को करने हेतु मौजूदा संसाधनों और बुनियादी संरचना को पहचानता है और उनका उपयोग करता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन में सुधार के लिये राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करता है।

